

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002972012

दांडिक प्रकरण क्र.-426 / 12

संस्थापित दिनांक-29.10.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-सियाराम अहिरवार पुत्र श्री मोतीलाल अहिरवार, उम्र 28 साल निवासी ग्राम हिरावल चंदेरी।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 02.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत 34 आबकारी एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी प्रदीप दीक्षित ने दिनांक 10.10.12 को आरक्षी केन्द्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की, कि घटना दिनांक को इलाका भ्रमण ग्राम हिरावल में जर्गे मुखविर सूचना मिली कि गांव में रामस्वरूप के मकान के सामने चबूतरा पर सियाराम अहिरवार अवैध देशी शराब बेच रहा है। सूचना को हमराही आरक्षक व पंचानों को अवगत कराया बाद मुखविर के बताए स्थान पर दविस देकर देखा तो एक व्यक्ति शराब बेचते दिखा जिसे हमराही आरक्षक की मदद से पकड़ा एवं नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सियाराम बताया एवं शराब रखने एवं बेचने के संबंध में लायसेंस के संबंध में पूछा तो न होना बताया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 330/12 के अंतर्गत 34 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34“अ” आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में

आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.10.12 को समय 16 बजे रामस्वरूप के मकान के सामने चबूतरे पर ग्राम हिरावल में सार्वजनिक स्थान पर देशी मदिरा प्लेन क्वार्टर 15 नग बिना वैध लायसेंस के विक्रय करने के आशय से अपने अवैध आधिपत्य में रखे पाये गये ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 संजय सिंह वर्मा, अ.सा. 02 कुअरलाल, अ.सा. 03 अरविंद, अ.सा. 04 प्रदीप दीक्षित की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 कुअरलाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से वर्ष 2012 में कोई भी वस्तु जप्त होने के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने जप्ती पंचनामा प्रपी 02 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी 03 पर थाने में हस्ताक्षर किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसके सामने आरोपी से कोई वस्तु जप्त नहीं हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 02 पर पुलिस ने किस बात के हस्ताक्षर कराए थे, इसकी उसे जानकारी नहीं है। अ.सा. 03 अरविंद ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपनी मोटरसाईकिल से ग्राम हिरावल जा रहा था और तब पुलिस ने उसे रोका था। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस के कहने पर उसने प्रपी 02 एवं प्रपी 03 पर हस्ताक्षर किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस वालों से पूछने पर कि किस बात के हस्ताक्षर कराए हैं, पुलिस वालों ने धौंस देकर कारण नहीं बताया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को शराब बेचते हुए पाया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि पुलिस ने आरोपी को शराब बेचते हुए पकड़ा था।

08— अ.सा. 01 संजय वर्मा ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 16.10.12 को आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर चंदेरी में पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष जांच हेतु शील्ड अवस्था में जप्तशुदा पदार्थ लाया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार जांच उपरांत उक्त द्रव देशी प्लेन मदिरा पाया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 01 है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जप्तशुदा मदिरा सरकारी ठेके पर उपलब्ध रहती है। उक्त साक्षी के अनुसार आठ-दस लोग साथ में बैठकर शराब पी सकते हैं तथा प्रति व्यक्ति डेढ़ लीटर शराब मिलती है। अ.सा. 04 प्रदीप दीक्षित ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 10.10.12 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार वह इलाकागस्त के लिए ग्राम हिरावल गया था जहां उसके साथ आरक्षक आफाक भी गया था। जहां सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध शराब बेच रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार मुखविर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचने पर

आरोपी शराब बेचते हुए मिला जिसे आरक्षक की मदद से पकड़कर उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम सीताराम बताया तथा शराब बेचने के संबंध में आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से प्रपी 02 के अनुसार शराब जप्त की थी तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 06 लेखबद्ध की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा वापसी सान्हा प्रपी 09 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी क्रमांक 02 एवं 03 पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा जप्ती पंचनामा प्रपी 02 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी 03 की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि उनके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही हुई थी। इस प्रकार प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हो रही है। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 04 के अनुसार उसके साथ आरक्षक आपाक भी गया था, किंतु उक्त आरक्षक की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे कि अ.सा. 04 की साक्ष्य का अनुसमर्थन हो सके। अभियोजन द्वारा प्रकरण में रवानगी सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अभाव में उक्त तथ्य कि अ.सा. 04 कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुआ था, प्रमाणित नहीं होता।

10— अ.सा. 01 द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा शराब की जांच की गई है। उक्त जांचानुसार प्रकरण में जप्तशुदा पदार्थ देशी मदिरा होना प्रमाणित हो रहा है, किंतु मात्र इस आधार पर कि जप्तशुदा पदार्थ देशी मदिरा है मात्र अ.सा. 04 की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष देना कि उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया है समीचीन प्रतीत नहीं होता। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अ.सा. 04 पुलिस का साक्षी है तथा मामले का फरियादी भी है तथा उक्त साक्षी के द्वारा ही प्रकरण में विवेचना भी की गई है। इस प्रकार प्रकरण में न केवल फरियादी की साक्ष्य के अनुसमर्थन का अभाव है, बल्कि फरियादी की साक्ष्य की संपुष्टि भी प्रकरण में नहीं हो रही है। प्रकरण में रवानगी भी प्रमाणित नहीं है और साथ ही जप्ती की कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं है। अतः ऐसी दशा में मात्र विवेचक की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष देना कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है, समीचीन प्रतीत नहीं होता। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है तथा संदेह की स्थिति में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34“अ” आबकारी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा 15 क्वार्टर प्लेन देशी शराब मूल्यहीन होने से

अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

14— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)